



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

स्टेशनरी आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा-पत्र

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| कार्य का नाम— | स्टेशनरी आपूर्ति | निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि | 11-08-2017 मध्यान्ह 02:00 बजे तक |
| निविदा क्रमांक— | | | |
| अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क | रु. 6,00,000/- रु. 12,000/- रु. 200/- | निविदा खोलने की तिथि | 11-08-2017 मध्यान्ह 03:00 बजे |

- (वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम.....
-
निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या..... (प्रति संलग्न है।)
- किनको सम्बोधित किया गया.....
- संदर्भ.....
-
निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद..... एवं दिनांक..... द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या..... के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
- हम..... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी घर्ता से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित घर्ता को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
- सलग्न प्रपत्र में वर्णित दरों एफ ओ आर महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की हैं जो समस्त कर एवं वैट सहित अंकित की जा रही हैं । अनुमोदित दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई चार्ज या शुल्क देय नहीं होगा ।
- फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश से आदेशित की गयी अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी ।

10. उपर उद्धृत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
11. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या.....जो आहरित किया गया है दिनांकरूपये.....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
12. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र/जी एस टी प्रमाण संलग्न है।
13. निविदा प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा अंकित ब्रांड/मेक विशेष वाले आइटम्स को छोड़कर शेष आइटम के नमूने निविदा फॉर्म के साथ सील बंद डब्बे अथवा लिफाफे में फर्म की सील सहित सलग्न करने होंगे।
14. नमूने के अभाव में आइटम विशेष या संपूर्ण निविदा को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
15. निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री की ब्रांड /मेक के अतिरिक्त अन्य ब्रांड/मेक की दरों पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
16. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)
17. निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रारूप एस आर-II सलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खुली निविदा स्टेशनरी व अन्य सामग्री की शर्तें

टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें।

1. निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से एक बड़े लिफाफे में (दोनों मुहरबंद लिफाफों सहित) मोहरबंद निर्धारित समयावधि में कुलसचिव कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रथम सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार तकनीकी बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप तकनीकी पात्रता हेतु समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में “विश्वविद्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री आपूर्ति हेतु प्रस्तुत-तकनीकी बिड” अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। दूसरे सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार वित्तीय बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप वित्तीय पात्रता हेतु लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में “विश्वविद्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री आपूर्ति हेतु प्रस्तुत-वित्तीय बिड” अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफों को निविदादाता द्वारा डबल बिड सिस्टम के अंतर्गत उचित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट अक्षरों में विश्वविद्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री आपूर्ति निविदा अंकित हो, प्रस्तुत करनी होगी तब ही स्वीकार की जायेगी। तकनीकी रूप से पात्र पायी गयी फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
2. “वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं” :— निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर.-11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे। निविदादाता निविदा भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि यदि उनका गोदाम अथवा दुकान बीकानेर शहर से बाहर की है तो निविदा में अनुमोदित होने के उपरान्त अनुबंध करने से पूर्व उनके द्वारा बीकानेर शहर में एक समस्त स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री आपूर्ति हेतु आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। आउटलेट खोलने के उपरान्त विश्वविद्यालय में सूचना मय दस्तावेजों के देने के उपरान्त ही फर्म को कार्यदेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
3. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वर्ती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा। (ब) ठकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्थीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह / वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
4. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और शोधन प्रमाण-पत्रः— कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिए था, संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
5. निविदा प्रारूप स्थाही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएंगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एवं उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जायें। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।
7. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना

चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।

8. a. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मों द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।
b. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।
9. मूल अधिमान—मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
10. विधिमान्यता:- निविदाएं खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।
11. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले मालके संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राइंग्स आदि का सावधानी पूर्वकपरीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग या विनिर्देश ड्राइंगआदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने सेपूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।
13. विनिर्देशः—
 - i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप में अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
 - ii. वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामले में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
 - iii. वारंटी/गारंटीः— निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख सेदिन/माल की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुएं निविर्दिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण / तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
 - iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामले में भी उपर्युक्त खण्ड (3)में वर्णित गारंटी दी जाएगा और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्जा, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता। निर्धारित अपवधि में
 - v. प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।

vi. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपकरण के मामलें में, निविदादाता उन निबन्ध और शर्तों पर जिन पर सहमति हो गयी हों, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपकरणों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

14. निरीक्षण:-

- i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
- ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
15. नमूने:- अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के समुचित रूप से पैक किए गए नमूनों के दो संघ होंगे। यदि ऐसे नमूने वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगा उन्हें कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। नमूना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने की एक रसीद दी जाएगी।
16. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्ची पर लिखकर टिकाउ कागज पर लिखकर नमूने पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।
17. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि के निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट-फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
18. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट-फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
19. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
20. नमूने लिए जाना— परीक्षण के मामलें में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी की उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
21. परीक्षण व्यय— परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं हैं तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
22. अस्वीकृत किया जाना:-
 - i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 - ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की

अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

23. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा । कवह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावे जिसे वह उपयुक्त समझे ।
24. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दग्गी हो सके । किसी हानि नुकसान टूट-फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
25. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
26. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरहता होगा।
27. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सलाई करनी होगी।
- मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
 - यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का व्यापक करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
28. बयाना राशि’—
- निविदा के साथ रूपये 12000/-की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर वैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी।
 - असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस की दी जाएगी।
 - बयाना राशि से छूट:- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए नए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
 - केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बनाया राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
 - किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले सविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।
29. बयाना राशि का समपहरण— बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा।

- i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो
 - iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो ।
 - iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता है ।
30. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेप:-
- i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी ।
 - ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा । प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी ।
 - iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
 - iv. प्रतिभूति राशि नकद / बैंक ड्राइट / बैंकर वैक द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराई जावेगी । प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरुद्ध कोई देयच बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी ।
- (ब)
- i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी ।
 - ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे ।
 - iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण—प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा ।
 - (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है ।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है ।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के माले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
- iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा ।
31. अ. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा ।
- ब. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाए जाएं ।
32. शर्त :-
- i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा ।
 - ii. निर्धारित नुकसान—निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी ।
 - iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत

- iv. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।
 - v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी ।
 - vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।
 - vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा ।
33. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट-फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेंगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निष्केप की जाएगी । यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीड़ीआर एकट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
34. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
35. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।
- i. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
 - ii. यदि फर्म फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरणप क्रमांक और रजिस्ट्रीकारण का वर्ष
 - iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक
 - iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।
36. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंधमें संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदिष्ट किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।
37. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संरिथ्त किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं ।
38. दर संविदा के अनुसार प्रतिनिग/प्रति सेट/प्रति किलो आदि की दर अंकित करें ताकि सामग्री आवश्यकतानुसार मंगवाई जा सकें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध
कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अहता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

अनुलग्नक “ब”

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंगत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....**कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर**

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....**कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर**

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व – अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रेध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

अर्थात्:

क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण

ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

ग. यह विनिश्चय की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं

घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्द करण

ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

4. अपील का प्ररूप.— (1) धारा 38 की उप—धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
5. अपील फाइल करने के लिए फीस.—
- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.—
- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके

विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि

संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के

उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी

विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे

अपीलार्थी व्यक्ति है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....
.....
.....

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :—

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.—

उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.—

- (1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- (2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी —
- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और
- (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.—

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की

दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|----------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|---|
| 1 | A4 | A4 | Jk Easy copier 70 GSM paper 500 rim mill packed (A Grad Paper Mill) | | Per Rim | |
| 2 | FS(Legal) | FS(Legal) | Jk Easy copier 70 GSM paper 500 rim mill packed (A Grad Paper Mill) | | Per Rim | |
| 3 | A3 | A3 | Jk Easy copierPhoto copier 70 GSM paper 500 rim mill packed (A Grad Paper Mill) | | Per Rim | |
| 4 | Office Files | Standard | Office Files Ajay | Ajay | Per File | |
| 5 | Corban Paper | कोरस | | | Per Pkt | |
| 6 | Gum paste | Size 300 ml | कोरस | | Per Pkt | |
| 7 | ड्राइंग पिन | | 100 नग एक पैकिट में | नमूना प्रस्तुत करें | Per Pkt | |
| 8 | हाईलाईटर रग्डीन | फेबर केस्टल | | | प्रति नग | |
| 9 | Register (Ruled) | 120 Page | 60 GSM PAPER | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 10 | Register (Ruled) | 180 Page | 60GSM PAPER | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 11 | Register (Ruled) | 240 Page | 60 GSM PAPER | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 12 | File Pad | 10"x15" | File pad size 10"x15" having straw board of 280 or with paper pasted on both sides duly printed wide half of binding cloth duly pasted on brown or thick cover with 36" long white tape of $\frac{1}{2}$ " (till more) to be inserted in between card board and paper. (Cloth Patti) | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 13 | File lases | Big size 9/36 | 100 नग एक पैकिट में | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति पैकिट | |
| 14 | Craft paper envelopes | 6"x3½" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|----------------|-------------------------|-------------|---|---------------------|-------------|---|
| 15 | Craft paper envelopes | 9"x4" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 16 | Craft paper envelopes | 10"x4½" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 17 | Craft paper envelopes | 10"x8" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 18 | Craft paper envelopes | 10"x12" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 19 | Craft paper envelopes | 11"x5" | Craft paper envelopes 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 20 | White envelope | 6"x3½" | White envelope Meflitho Paper 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 21 | White envelope | 9"x4" | White envelope Meflitho Paper 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 22 | White envelope | 11"x5" | White envelope Meflitho Paper 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 23 | Window white envelopes | 9"x4" | Window white envelopes Meflitho Paper 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 24 | Window white envelopes | 11"x5" | Window white envelopes Meflitho Paper 80 GSM Paper | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 25 | Cloth envelopes | 7"x3½" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 26 | Cloth envelopes | 9"x4" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 27 | Cloth envelopes | 10"x5" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 28 | Cloth envelopes | 11"x4½" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 29 | Cloth envelopes | 11"x6" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 30 | Cloth envelopes | 12"x10" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 31 | Cloth envelopes | 14"x16" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 32 | Cloth envelopes | 18 x14" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 33 | Cloth envelopes | 16x12" | Cloth envelopes of superior quality (New clothUsing 80 GSM Paper) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 34 | Envelopes of superior | 10"x5" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 35 | Envelopes of superior | 11"x4½" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 36 | Envelopes of superior | 11"x6" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 37 | Envelopes of superior | 12"x10" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 38 | Envelopes of superior | 14"x16" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 39 | Envelopes of superior | 18"x14" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 40 | Envelopes of superior | 16x12" | Envelopes of superior quality(laminated) | नमूना प्रस्तुत करें | (Per 1000) | |
| 41 | Glue stick | 15gm | Korse | | प्रति नग | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|----------------|--|-------------------|--|---------------------|-------------|---|
| 42 | File Tag 8" colour | 8" | (परनामी) | | प्रति पैकिट | |
| 43 | U-Pin Plastic Coloured | 33 mm | U-Pin Coloured 50 pec Per Pkt (100 Pkt) | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति पैकिट | |
| 44 | All Pin Pkt. | 100 gm | (T type) | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति पैकिट | |
| 45 | Stamp Pad | Medium Size | Ashoka | Ashoka | प्रति नग | |
| 46 | Stamp Pad Ink | 50 ml | Ashoka | Ashoka | प्रति नग | |
| 47 | Slip Pad (ruled) | 18"x22"/8 Size | 40 sheets (Nilgagan) | नील गगन | प्रति नग | |
| 48 | Industrial Brown Tape | Size 3" | Industrial Brown Tape 60 मीटर लम्बाई | Essar | प्रति रोल | |
| 49 | Transparent Tape | Size 1" | Industrial Brown Tape 30 मीटर लम्बाई | Essar | प्रति रोल | |
| 50 | Transparent Tape | Size 2" | Industrial Brown Tape 30 मीटर लम्बाई | Essar | प्रति रोल | |
| 51 | Brown Guming Paper Tape | Size 1" | Brown Tape (Paper) standard Size | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति रोल | |
| 52 | Stapler Pin PKT | No.10 | Kangaroo | | प्रति नग | |
| 53 | Stapler Pin PKT | No.24/6 | Kangaroo | | प्रति नग | |
| 54 | HI Tecpoint(P-5)PILOT | PILOT | PILOT | PILOT | प्रति नग | |
| 55 | Stapler Machine | HP.10 | Kangaroo | | प्रति नग | |
| 56 | Stapler Machine | HP.45 | Kangaroo | | प्रति नग | |
| 58 | Montex High Slim Ball Pen | | Montex Higs Slim Ball Pen | | प्रति नग | |
| 59 | Ball pen Cello Butter flow | | Cello Butter flow | | प्रति नग | |
| 60 | Uni Ball Pen micro | | Uni Ball Pen | | प्रति नग | |
| 61 | Document (Plastic) file Superior Quality with University Monogram (Multy Coloured) | Plastic " L" File | Document (Plastic) file Superior Quality with University Monogram (Multy Coloured) | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 62 | DVD R Disk 4 GB or | Sony | Single Layer | | प्रति नग | |
| 63 | Pen Drive 8 GB | Kingston | Kingston | | प्रति नग | |
| 64 | Pen Drive 16GB or more | Kingston | Kingston | | प्रति नग | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 65 | Gel Pen Add Achiever | | Add gel achiever | | प्रति नग | |
| 66 | Numbring Meachine | NUMIX | 6 व्हील 5.5 एम एम | | प्रति नग | |
| 67 | Numbring Ink | कोरस | 100 ml. in a Bottle | | प्रति नग | |
| 68 | White Board Marker Pen | Cello | | | प्रति नग | |
| 69 | White Board Marker Ink | Cello | | | प्रति नग | |
| 70 | Duster for White Board | | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 71 | एच बी पेसिल | | Doms (Neon Rubber tipped) | | प्रति नग | |
| 72 | रबर नॉन डस्ट | | Doms | | प्रति पैकिट | |
| 73 | शार्पनर | | Doms | | प्रति पैकिट | |
| 74 | पेपर वेट कांच का | | पेपर वेट कांच का | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 75 | डेम्पर (स्पंज) | | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 76 | परमानेन्ट मार्कर पेन बड़ा | | केमलीन | | प्रति नग | |
| 77 | परमानेन्ट मार्कर इक | | केमलीन | | प्रति नग | |
| 78 | सीडी मार्कर | | सैलो | | प्रति नग | |
| 79 | पोकर प्लास्टिक हैंडल | | पोकर प्लास्टिक हैंडल | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 80 | स्टेनो नोट बुक | 160 पेज | नील गगन 160 पेज | | प्रति नग | |
| 81 | करेक्टिंग पेन | | कोरस | | प्रति नग | |
| 82 | PEON बुक | 96 पेज | रस्तोगी (96 पेज) | | प्रति नग | |
| 83 | केलव्यूलेटर सीटीजन | | CT-555 N (CITIZEN) | | प्रति नग | |
| 84 | पेज मार्कर | | de' smart | | प्रति पैकट | |
| 85 | पेपर कटर (कट्टे काटने | | नटराज | | प्रति नग | |
| 86 | डाक पैड | नील गगन | | | प्रति नग | |
| 87 | स्केल 12 इंच प्लास्टिक | केमल | | | प्रति नग | |
| 88 | ऑलपिन स्टैण्ड मैनेटिक | | स्टेण्डर्ड साइज (आलपिन रखने हेतु) | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति पैकट | |
| 89 | छात्र उपस्थिति पंजिका | 8X13 रस्तोगी | 12 माह हेतु | | प्रति नग | |
| 90 | कर्मचारी उपस्थिति पंजिका | 10X15 रस्तोगी | 13 नाम एक पृष्ठ में | | प्रति नग | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| 91 | अस्थाई स्टॉक रजिस्टर | रस्तोगी | 320 पेज | | प्रति नग | |
| 92 | स्थाई स्टॉक रजिस्टर | रस्तोगी | 320 पेज | | प्रति नग | |
| 93 | पेपर क्लेम्प | | 32 MM | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 94 | पेपर क्लेम्प | | 41 MM | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 95 | पेपर क्लेम्प | | 51 MM | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 96 | डाक प्राप्ति रजिस्टर | रस्तोगी | 600 पेज | | प्रति नग | |
| 97 | डाक प्रेषण रजिस्टर | रस्तोगी | 600 पेज | | प्रति नग | |
| 98 | बस्ते | सूती 1X1 मीटर साईंज | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 99 | डस्टर | सूती बड़ा | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 100 | रबड बैंड (नॉयलोन) | परनामी 400 GM | | | प्रति पैकेट 400 ग्राम | |
| 101 | जग प्लास्टिक | (सैलो) 1.5 लीटर साईंज | | | प्रति नग | |
| 102 | प्लास्टिक बाल्टी | सैलो 16 लीटर साईंज | | | प्रति नग | |
| 103 | डस्टबिन | वीटो 33 नं० | | | प्रति नग | |
| 104 | विम बार | 200 ग्राम | | | प्रति नग | |
| 105 | मोर्टीन मशीन मय रिफिल | मोर्टीन मशीन | | | प्रति नग | |
| 106 | पेन्सिल सैल | पावर | | | प्रति नग | |
| 107 | सूती कपडा सफेद | प्रति मीटर | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रती मीटर | |
| 108 | ठावल | सफेद फुल साईंज | बौम्बे डाइंग | | प्रति नग | |
| 109 | नेपकीन | सफेद साधारण 18" X 18" | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 110 | पंचीग मशीन | कंगारू – डी पी-480 | | | प्रति नग | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---|
| 111 | कैंची | 10 इंच पीतल का हैण्डल | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 112 | सूतली | जूट की प्रति किलो | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति किलो | |
| 113 | प्लास्टिक कटे सीलने की मशीन के धागे की रीलें | | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 114 | रुम स्प्रे | एयरविक | | | प्रति नग | |
| 115 | सेल्फ इंकिंग मोहर हस्ताक्षर की प्रति नग | | | | प्रति नग | |
| 116 | सेल्फ इंकिंग मोहर प्रतिलाईन | | | | प्रति लाईन | |
| 117 | गोल रबड मोहर हस्ताक्षर एवं विश्वविद्यालय के नाम सहित की प्रति नग | | | | प्रति नग | |
| 118 | गोल रबड मोहर(एलफाबेट) एक वर्ग इंच की प्रति नग | | | | प्रति नग | |
| 119 | रबड मोहर सेन्टर कोड नं एक वर्ग इंच की प्रति नग | | | | प्रति नग | |
| 120 | साधरण रबड मोहर हस्ताक्षर की प्रति नग | | | | प्रति नग | |
| 121 | साधरण रबड मोहर प्रति लाईन | | | | प्रति लाईन | |
| 122 | पीतल की ब्रास सील आधा इंच व्यास पीतल हैंडिल | | | | प्रति नग | |
| 123 | दीवार घड़ी | | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 125 | ताले | 70 एमएम हरीसन | स्टील | | प्रति नग | |
| 126 | ताले | 50 एमएम हरीसन | स्टील | | प्रति नग | |

| Item No | Name of Articles | Size | Spacification | Brand/Make | Unit | Rate included all taxes& VAT/GST(FOR Store MGSU) |
|----------------|-------------------------|-------------|--|---------------------|-------------|---|
| 127 | सूआ सिलाई के लिए | | सुतली सिलाई | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 128 | Index Plastic Ring file | | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 129 | Bag Conference हेतु | Small size | उक्त बैग का अवलोकन निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय समय में निविदा जमा करवाने से पूर्व किया जा सकता है । | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 130 | Bag Conference हेतु | Midum size | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |
| 131 | Bag Conference हेतु | Big size | | नमूना प्रस्तुत करें | प्रति नग | |

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर